

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद

दिनांक 08.09.2020

आदेश

(संख्या ०८ /2020)

कार्यालय INCIDENT COMMANDER/नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 07.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय गाजियाबाद में कार्यरत श्री रोहित सक्सेना, श्री विनीत कुमार तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी० गाजियाबाद में कार्यरत श्री नेत्रपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया से विरक्त रखते हुए परिसर में 48 घण्टे हेतु सील करने की संस्तुति की गयी है।

अतएव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 548/पांच-8-2020 दिनांकित 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम सं० 3 सन 1897 की धारा -2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना। (COVID-19) विनियमावली 2020 के प्रस्तर सं० 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के अनुसार अधिनस्थ दीवानी न्यायालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जहां पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की राय में जिला न्यायालय/परिवार न्यायालयों को कुछ समय के लिए बन्द किया जाना है, वहां पर जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय बन्द किये जायेंगे तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अनुक्रम में मैं प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 08.09.2020 की प्रातः काल से आगामी 48 घण्टे (दिनांक 08.09.2020 एवं 09.09.2020) तक सभी परिवार न्यायालय प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय गाजियाबाद एवं न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी० गाजियाबाद में कोरोना वायरस से व्यक्तियों के पीडित/संक्रमित होने के संज्ञान में आने के दृष्टिगत उक्त सोसायटी/क्षेत्र/परिसर को तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस (COVID-19) फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से सीज किये जाने एवं परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश देती हूँ। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं० 45 सन 1860) की धारा -188 के अधिन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में सभी परिवार न्यायालय एवं कार्यालयों को सैनिटाईजेशन श्री अण्णिके श्रीवास्तव, प्रभारी नजारत गाजियाबाद की देखरेख में किया जायेगा और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 को प्रातः 10 बजे प्रेषित की जाये।

उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में दिनांक 08.09.2020 को नियत 13B हिन्दू विवाह अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र निस्तारण वाले मामलों को छोड़कर समस्त


सिविल एवं क्रिमिनल वादों में सामान्य तिथि 20.10.2020 नियत की जाती है। एवं सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में दिनांक 09.09.2020 को नियत 13B हिन्दू विवाह अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र निस्तारण वाले मामलों को छोड़कर समस्त सिविल एवं क्रिमिनल वादों में सामान्य तिथि 21.10.2020 नियत की जाती है। तथा दिनांक 08.09.2020 एवं 09.09.2020 को नियत 13B हिन्दू विवाह अधिनियम के समस्त वादों में सामान्य तिथि 19.09.2020 नियत की जाती है। तथा सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद के पीठासीन अधिकारी दिनांक 08.09.2020 एवं 09.09.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शीघ्र निस्तारण वाले मामलों में अपने स्तर से तिथि नियत करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये तथा एक आदेश के प्रति जिला न्यायालय, गाजियाबाद की अधिकारिक वेबसाइट (official website) पर आदेश अपलोड किया जाये।

  
प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय  
Principal Judge Family Court  
Ghaziabad (U.P.)

प्रतिलिपि-

1. मा० जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
2. प्रभारी नजारत, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
6. बार एसोशिएशन, गाजियाबाद।
7. सिस्टम आफिसर, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
8. न्यायालय नोटिस बोर्ड।

  
प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय  
गाजियाबाद।  
Principal Judge Family Court  
Ghaziabad (U.P.)